रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1972/पौष 21, 1893

No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1972/PAUSA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January, 1972.

S.O. 26(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 5181, dated the 16th November, 1971, published at pages 3131-3132 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 19th November, 1971, relating to the Capital Issues (Application for Consent) (Amendment) Rules, 1971, *for* "Capital Issues (Application for Consent) Rules, 1954", *read* "Capital Issues (Application for Consent) Rules, 1966".

[No. F. 2(15)-CCI/71.]

P. D. KESBEKAR,
Controller of Capital Issues.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

एस० ओ० 26(अ).—पूंजी निर्गम (एस्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) (संशोधन) नियमावली, 1971 से सम्बन्धित दिनांक 19 नवम्बर, 1971 के भारत के राज-पत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उप-खण्ड II के पृष्ठ 3131–3132 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना का० आ० 5181 दिनांक 16 नवम्बर, 1971 में "पूंजी निर्गम (स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) नियमावली, 1954," के स्थान पर "पूंजी निर्गम (स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र) नियमावली, 1966" पढ़िए ।

[संख्या एफ० 2(15) सी० सी० आई०/71]

प्र० व० कसबेकर,
पूंजी निर्गम नियंत्रक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972